सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः–1747/28–1–2001

प्रेषक,

लव वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तरांचल समन्वय अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 23 अक्टूबर, 2001

विषयः– उत्तरांचल राज्य हेतु कार्मिकों का अन्तिम आवंटन।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73(2) के अन्तर्गत आदेश संख्या 27/9/2001–एस0आर0(एस) दिनॉक 11–09–2001 (प्रतिलिपि संलग्न) में निम्नलिखित श्रेणी के समस्त कार्मिकों का अन्तिम आवंटन उत्तरांचल हेतु कर दिया गया है:–

"(क) जिनका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा [73] में विनिर्दिष्ट 13 जिलो में से एक जिला स्तर अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है और जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य में आते हैं अथवा जिनकी सेवाऐं उपरिनिर्दिष्ट जिला क्षेत्रों के भीतर सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(ख) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल और कुमाऊँ डिवीजन का एक प्रभागीय स्तर का अधिकारी है अथवा जिनकी सेवाऐं उपर्युक्त डिवीजन क्षेत्रों के अन्दर सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ है अथवा

(ग) जो 9 नवम्बर, 2000 को तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल सब काडर से सम्बन्धित है या जिनकी सेवाऐं 9 नवम्बर, 2000 को तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के हिल सब काडर जिलों के अन्दर सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ है अथवा

(घ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग में विशेष परियोजना अथवा उपक्रम हेतु नियुक्त हैं और जिनकी सेवाऐं 9 नवम्बर, 2000 के और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्यक्षेत्र के भाग भौगोलिक क्षेत्र के बाहर सामान्यतः स्थानान्तरण योग्य नहीं है,

9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य की सेवा हेतु अन्तिम रूप से आवंटित किये जाते है।"

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि उपर्युक्त श्रेणी के कोई भी कार्मिक उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं अथवा सम्बद्ध हैं अथवा उत्तरांचल राज्य से कार्य मुक्त होकर उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य-भार ग्रहण करवा लिया गया है तो भारत सरकार के उपर्युक्त आदेशों के सन्दर्भ में सम्बन्धित आदेशों को निरस्त करते हुये कार्मिकों को उत्तरांचल राज्य हेतु तत्काल कार्य मुक्त करने तथा उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(लव वर्मा)
सचिव।

संख्याः-1747(1)/28-1-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लखनऊ।
4- महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,लखनऊ।

आज्ञा से,

(लव-वर्मा)
सचिव।

सं०-27/9/2001-एस.आर. (एस)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली 110 003
दिनांक : 11.09.2001

आदेश

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा [73] के उपखण्ड [2] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि वे सभी अधिकारी और कर्मचारी:

(क) जिनका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा [73] में विनिर्दिष्ट 13 जिलों में से एक जिला स्तर अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है और जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य में आते हैं अथवा जिनकी सेवाएं उपरिनिर्दिष्ट जिला क्षेत्रों के भीतर सामान्यतः स्थानांतरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(ख) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल और कुमाऊँ डिवीजन का एक प्रभागीय स्तर का अधिकारी है अथवा जिनकी सेवाएं उपर्युक्त डिवीजन क्षेत्रों के अन्दर सामान्यतः स्थानांतरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(ग) जो 9 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल स्टाफ कॉडर से सम्बन्धित हैं या जिनकी सेवाएं 9 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के हिल स्टाफ कॉडर जिलों के अन्दर सामान्यतः स्थानांतरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(घ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग में विशेष परियोजना अथवा सर्वेक्षण हेतु नियुक्त हैं और जिनकी सेवाएं 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्यक्षेत्र के भाग भौगोलिक क्षेत्र के बाहर सामान्यतः स्थानांतरण योग्य नहीं है,

9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य की सेवा हेतु अंतिम रूप से आवंटित किये जाते हैं।

(आर.आर.प्रसाद)
निदेशक (रा.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून, उत्तरांचल।
3. संयुक्त सचिव (कैबिनेट), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।